"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2011—चैत्र 7, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 28 मार्च, 2011 (चैत्र 7, 1933)

क्रमाक-4626/वि. स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011), जो दिनांक 28 मार्च, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 2 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

धारा 7 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु राज्य शासन अथवा इसकी एजेन्सी के द्वारा इस प्रयोजन के लिए दी गई अहस्तांतरणीय लीज (जो 30 वर्षों से कम की नहीं होगी) मान्य होगी."

धारा 9 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के परन्तुक में अंक एवं शब्द "6 माह" के स्थान पर अंक एवं शब्द "2 वर्ष" प्रतिस्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत यह उपबंधित है कि प्रायोजक निकाय को भूमि के लिए स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए. वास्तव में नये राज्य में शासन प्रायोजक निकाय की भूमि के अर्जन की अपेक्षा कर सकता है तथा उसके स्थान पर शासन लीज पर भूमि उपलब्ध करा सकता है अत: धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात् परन्तुक खण्ड अन्त:स्थापित किया गया है.

इसके अतिरिक्त मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के परन्तुक में अंक एवं शब्द "6 माह" "2 वर्षों" के द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित है, क्योंकि स्थापना एवं निगमन की प्रक्रिया की पूर्णता के लिये 6 माह पूर्ण नहीं है.

2 अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक 28 फरवरी, 2011

हेमचंद यादव
उच्च शिक्षा मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 7 एवं 9 का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा - 7 धारा (2) में उल्लेखित आशय पत्र में निम्नलिखित शर्तें सम्मिलित होगी जो प्रायोजक निकाय को इस राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए पूरी करनी होगी.

(1) वह स्थापित करेगा :—

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में ही मुख्य परिसर, दूर परिसर एवं अध्ययन केन्द्र,

(ख) इस अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप विन्यास निधि,

(2) वह न्यूनतम निम्नलिखित प्राप्त करेगा :—

(क) 15 एकड़ भूमि यदि रायपुर नगर-निगम की सीमा के अंदर मुख्य परिसर की स्थापना प्रस्तावित है.

(ख) 25 एकड़ भूमि यदि अन्यत्र मुख्य परिसर स्थापना प्रस्तावित है, तथा साथ ही वह इनके भू-स्वामित्व अभिलेख प्रस्तुत करेगा.

(3) वह प्रशासकीय कार्यों तथा अकादमी कार्यों के सम्पादन के लिए कम से कम 25,000 वर्गफीट का निर्मित क्षेत्र भवनों तथा अन्य सहायक निर्माणों के रूप में उपलब्ध करायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा - 9 (1) विनियामक आयोग द्वारा धारा 8 के अंतर्गत, प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा यू.जी.सी. का निरीक्षण प्रतिवेदन, यदि ऐसा कोई है, पर विचार उपरांत यदि राज्य शासन को संतुष्टि हो जाती है कि प्रायोजक निकाय ने धारा 7 के प्रावधानों को पूरा किया है तथा प्रस्ताव के आधार पर एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है, तो इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में संशोधन कर वह ऐसे नाम तथा विवरण जैसा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाये निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा.

(2) इस प्रकार के निजी विश्वविद्यालय का निगमन उस तिथि से माना जावेगा जिस तिथि से अनुसूची का संशोधन हुआ है, परन्तु यह भी कि उक्त उपधारा (2) दर्शायी निगमन की तिथि तथा धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा.

(3) निजी विश्वविद्यालय अनुसूची में संशोधित नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिससे शाश्वत् उत्तराधिकार एवं सामान्य चिन्ह होगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए सम्पत्ति एवं उसका स्वामित्व प्राप्त कर सकेगा, जो अनुबंध कर सकेगा, वाद चला सकेगा या उस नाम से उस पर वाद चलाया जा सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.